न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3796–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–12 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत भोपाल प्रकरण कमांक 45/अपील/20009–10.

1– श्रीमती राजकुमारी शर्मा पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा
उर्फ राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
2– शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा
निवासीगण 42, बलवंत नगर, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती अनीता मिश्रा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा
निवासी मकान नं. 44 पीयुष धारा भवन
लोहिया मार्ग शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर .....मूल अनावेदक
2– कु. रीता शर्मा पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा
3– नरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र बहादुर शर्मा ..... फार्मल अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनूप गुप्ता, अभिभाषक,अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/10/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 15/अ–6/87–88 में पारित आदेश दिनांक 3–5–88 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत भोपाल के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22–5–10 को 21 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 एवं आलोच्य आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो पाने के कारण संहिता की

धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 45/अपील/2009–10 दर्ज कर दिनांक 26–9–12 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर बहस हेतु नियत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि विधिवत प्रकिया को अपनाये वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसे आदेश को केवल सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए कि अनावेदिका कमांक 1 राजेन्द्र बहादुर की पुत्री है तथा उसे पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, अपील समय–सीमा में मान्य करने में भूल की है, क्योंकि अनावेदिका कमांक 1 को जानकारी हो गई थी, फिर भी उसके द्वारा 175 दिन विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की आपत्ति पर कोई निष्कर्ष निकाले बगैर जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विपरीत है, क्योंकि जानकारी के बाद अवधि विधान की धारा 5 का लाभ नहीं दिया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है । यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अवधि विधान की धारा 5 के लाभ की मांग हक के रूप में नहीं कर सकता है, अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने पर दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में दिया जाना आवश्यक है, किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर भूल की गई है । अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया । तर्को के समर्थन में वीकली नोट्स 346 हरीराम विरूद्ध टाउन इम्प्रोवमेंट ट्रस्ट एवं 2010 आर.एन. 140 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1988 के आस–पास वसीयत प्रस्तुत की है, भूमि 5 लोगों को दी है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109/110 का विधिवत पालन नहीं किया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 3–5–88 की जानकारी होने पर वर्ष 2010 में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है और 21 वर्ष के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब

माफ करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण में गुण–दोष पर बहस सुने जाकर अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि अनावेदिका कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी राजेन्द्र बहादुर शर्मा की पुत्री है, और तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में उसे किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अतः तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी उसे आदेश पारित होने के दिनांक को होना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा की गणना कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त यह विधि का सुस्थापित सिंद्धांत है कि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोषों पर किया जाना चाहिए जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बतलाया गया है कि तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदिका कमांक 1 को हो चुकी थी, परन्तु उनके द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य अथवा दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं किया गया है, और न ही उनके द्वारा इस तथ्य का खण्डन किया गया है कि अनावेदिका कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी राजेन्द्र बहादुर शर्मा की पुत्री है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर